राजस्व आदेश अनुवृत्ति– पत्र

रा.प्र.क. 202504092100006 अ/62 वर्ष 2024–25

	2	3
22/05/2025	1. प्रकरण पेश। 3. प्रकरण का अवलोकन किया गया । 4. आवेदक द्वारा ग्राम तोतलभर्री प.ह.नं. 01 तहसील डोंगरगढ़ स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 16/1, 168/1 रकबा 3.003, 1.068 हे. भूमि में से सागौन के 02 एंव साजा के 03 कुल 05 नग वृक्ष को काटने की अनुमति हेतु आवेदन पेश किया है। 5. प्रकरण में राजस्व विभाग एवं वन विभाग से संयुक्त स्थल पंचनामा एवं प्रतिवेदन लिया गया। 6. संयुक्त जांच दल द्वारा प्रस्तुत स्थल निरीक्षण पंचनामा में लेख किया है कि आवेदित भूमि वन विभाग की भूमि से लगी है, एवं अत्यंत समीप से पी.एफ. लाईन गई हुई है। 7. चूंकी आवेदित भूमि वन विभाग की भूमि से लगी हुई है एवं पी.एफ. लाईन अत्यंत समीप से गई है जिससे अवैध कटाई होने की प्रबल संभावना है। अतः वृक्ष कटाई की अनुमति दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः आवेदक परमिला पिता गंभीर जाति गोंड ग्राम तोतलभर्री प.ह.नं. 01 स्थित भमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 16/1, 168/1 रकबा 3.003, 1.068 हे.. भूमि में से प्रकृतिक रूप से उगे सागौन एवं साजा वृक्ष की कटाई की अनुमति बाबत्। प्रस्तुत आवेदन अस्वीकार किया जाता है। 8. अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाकर दाखिल दफतर हो। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डोंगरगढ़	